



सप्तदश बिहार विधान सभा

पंचम सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या-03

मंगलवार, दिनांक-02 मार्च, 2022 ई० ।

माननीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई ।

समय : 11.00 बजे पूर्वाह्न से 12.40 बजे अपराह्न तक ।

[1] प्रश्नकाल :-

- (i) 05 अल्पसूचित प्रश्न उत्तरित ।
- (ii) 01 अल्पसूचित प्रश्न संख्या-12 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में स्थानांतरित ।
- (iii) 23 तारांकित प्रश्न उत्तरित ।
- (iv) 03 तारांकित प्रश्न अपृष्ट ।
- (v) 01 तारांकित प्रश्न संख्या-106 ग्रामीण कार्य विभाग में स्थानांतरित ।
- (vi) 183 तारांकित प्रश्न अनागत ।

तारांकित प्रश्न संख्या-129 के निस्तारण के दौरान आसन द्वारा माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग को निर्देश दिया गया कि विवर्जित किए गए संवेदक दुबारा निविदा में भाग नहीं लें, इसकी जांच कराव लें तथा संबंधित दोषी पदाधिकारियों की जिम्मेवारी तय कर चलते सत्र में सदन को इससे अवगत कराएं ।

[2] कार्य स्थगन प्रस्ताव :-

माननीय सदस्य श्री सत्यदेव राम, श्री महबूब आलम, श्री महा नंद सिंह, श्री अजय कुमार, श्री मनोज मंजिल, श्री रामबली सिंह यादव, श्री अरूण सिंह, श्री अवध विहारी चौधरी, श्री आलोक कुमार मेहता, श्री अमरजीत कुशवाहा एवं श्री अजीत शर्मा द्वारा दिया गया कार्य स्थगन प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं रहने के कारण आसन द्वारा इसे अमान्य किये जाने की घोषणा की गई ।

कार्यस्थगन प्रस्ताव अमान्य किए जाने पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर शोर-गुल करने लगे ।

तदुपरान्त माननीय सदस्य, श्री अजीत शर्मा तथा श्री महबूब आलम द्वारा आसन की अनुमति से स्थगन प्रस्ताव के विषय को सदन के समक्ष रखा गया ।

[3] आसन का संदेश :-

आसन ने स्पष्ट शब्दों में यह बता दिया है कि संविधान, संस्कृति और विरासत पर हमें गर्व होना चाहिए। कोई सदस्य यदि गैर जरूरी प्रश्न उठाते हैं या टीका-टिप्पणी करते हैं तो उनका यह व्यक्तिगत परिचय माना जाएगा और इसे सदन की भावनाओं के प्रतिकूल माना जाएगा। ऐसे सदस्यों को न तो प्रोत्साहित करने की जरूरत है और न ही कोई सदस्य इसे अन्यथा महत्व दे क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे सदस्यों को अपने पूर्वजों और अपनी विरासत से सीखने की जरूरत है।

चर्चा में बने रहने के लिए किसी की भावना को कोई माननीय सदस्य आहत करने का प्रयास न करे। सदन शांतिपूर्ण ढंग से चले, सार्थक विमर्श हो और अपनी सजगता तथा सरकार की संवेदनशीलता एवं तत्परता से सदन में शत-प्रतिशत प्रश्नों का उत्तर हो, जनहित का काम हो सके, यह हम सबों कि सामूहिक जिम्मेदारी है।

[4] शून्यकाल :-

शून्यकाल की सूचना के अन्तर्गत निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा राज्य की विभिन्न समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया :-

(i) श्री इजहारूल हुसैन	(ii) श्री मिथिलेश कुमार
(iii) श्री मुकेश कुमार यादव	(iv) श्रीमती शालिनी मिश्रा
(v) श्री मोहम्मद कामरान	(vi) श्री समीर कुमार महासेठ
(vii) श्री सुर्यकान्त पासवान	(viii) श्री कुंदन कुमार
(ix) श्री आलोक कुमार मेहता	(x) श्री बीरेन्द्र कुमार
(xi) श्री सुधाकर सिंह	(xii) श्री अरूण सिंह
(xiii) श्री पवन कुमार जायसवाल	(xiv) श्री मनोज मंजिल
(xv) श्री महा नंद सिंह	(xvi) श्रीमती संगीता कुमारी
(xvii) श्री पवन कुमार यादव	(xviii) श्री अवध विहारी चौधरी
(xix) श्री अजय कुमार	(xx) श्री रामबली सिंह यादव
(xxi) श्री अमरजीत कुशावाहा	(xxii) श्री ललन कुमार
(xxiii) श्री सत्यदेव राम	(xxiv) श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता
(xxv) श्री मुरारी प्रसाद गौतम	(xxvi) श्री संदीप सौरभ
(xxvii) श्री मिश्री लाल यादव	(xxviii) श्री अखतरूल ईमान
(xxix) श्री मुहम्मद इजहार असफी	(xxx) श्री अरूण शंकर प्रसाद
(xxxi) श्री सुदामा प्रसाद	(xxxii) श्रीमती मंजु अग्रवाल
(xxxiii) श्री राम चन्द्र प्रसाद	(xxxiv) श्री ललित नारायण मंडल
(xxxv) श्री हरिभूषण ठाकुर बचोल	(xxxvi) श्री ऋषि कुमार
(xxxvii) श्री भीम कुमार सिंह	(xxxviii) श्री मुरारी मोहन झा
(xxxix) श्री महबूब आलम	(xl) श्री विद्या सागर केशरी
(xli) श्री विनय कुमार	(xlii) श्री विजय कुमार
(xliii) श्रीमती प्रतिमा कुमारी	(xliv) श्री रणविजय साहू
(xlv) श्रीमती नीतु कुमारी	(xlv) श्री छोटे लाल राय
(xlvii) श्री कुमार कृष्ण मोहन	(xlviii) श्री मो० इसराईल मंसूरी
उर्फ सुदय यादव	
(xlix) श्री भूदेव चौधरी	

[5] ध्यानाकर्षण सूचनाएँ :-

(i) माननीय सदस्य श्री नीतीश मिश्रा का योजना एवं विकास विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य द्वारा पढ़ा गया एवं माननीय प्रभारी मंत्री, योजना एवं विकास विभाग, श्री श्रवण कुमार द्वारा इसका उत्तर दिया गया।

इस संबंध में आसन द्वारा निदेश दिया गया कि यह नीतिगत मामला है तथा सरकार गंभीरता से इस पर विचार कर सदन को इससे अवगत कराए।

आसन द्वारा माननीय सदस्यगण एवं माननीय मंत्रिगण से शून्यकाल के दौरान सदन में रहने का आग्रह किया गया।

तत्पश्चात् सभा की बैठक भोजनावकाश तक के लिए स्थगित हुई।

भोजनावकाश के बाद

(02.00 बजे अपराह्न से 02.27 बजे अपराह्न तक)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

[6] महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद (दिनांक-28.02.2022 से जारी) एवं सरकार का उत्तर :-

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद एवं संशोधन प्रस्ताव पर वाद-विवाद में निर्मांकित माननीय सदस्यों ने भाग लिया :-

(i) श्री तेजस्वी प्रसाद यादव

नेता विरोधी दल द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद के क्रम में सदन में कई माननीय सदस्यों द्वारा एक दूसरे पर टीका-टिप्पणी की जाने लगी।

आसन द्वारा निदेश दिया गया कि माननीय सदस्य अपने वक्तव्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करें जिससे सदन में उत्तेजना उत्पन्न हो, साथ ही जो सदन के सदस्य नहीं हैं या किसी संस्था पर टीका-टिप्पणी करने से बचें।

परन्तु सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष के बीच परस्पर टीका-टिप्पणी के कारण शोर-गुल होने लगा। आसन द्वारा शांति बनाए रखने का बार-बार अनुरोध किया गया लेकिन शांति कायम नहीं हो सकी। तत्पश्चात् आसन द्वारा सदन की कार्यवाही 2.45 बजे अप० तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

स्थगनोपरान्त

(2.45 बजे अप० से 5.02 बजे तक)

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद पुनः जारी हुआ जिसमें निर्मांकित माननीय सदस्यों ने भाग लिया :-

(ii) श्री अजीत शर्मा

(iii) श्री महबूब आलम

(iv) श्री अखतरूल ईमान

(v) श्री राम रतन सिंह

(vi) श्री अजय कुमार

(vii) श्री अनिल कुमार

तत्पश्चात् सरकार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री द्वारा विस्तारपूर्वक उत्तर दिया गया।

सरकार के उत्तर से असंतुष्ट होकर विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गए।

तदुपरान्त माननीय नेता विरोधी दल, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा, श्री महबूब आलम, श्री अखतरूल ईमान एवं श्री राम रतन सिंह द्वारा दिए गए संशोधन प्रस्ताव को बारी-बारी से सदन द्वारा अस्वीकृत किया गया तथा माननीय सदस्य, श्री नन्द किशोर यादव द्वारा प्रस्तुत मूल प्रस्ताव सदन से स्वीकृत हुआ।

आसन से घोषणा हुई कि "सदस्यगण इस अभिभाषण के लिए महामहिम राज्यपाल के कृतज्ञ हैं।"

[7] निवेदन :-

आसन से घोषणा की गयी कि आज के लिए स्वीकृत कुल 30 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिये जायेंगे।

तदुपरान्त सभा की बैठक वृहस्पतिवार, दिनांक-03 मार्च, 2022 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई।